4.Difference Between Corecion and Undue Influence

उत्पीड़न और अनुचित प्रभाव

अन्तर का आधार	उत्पीड़न	अनुचित प्रभाव
1. सहमति	उत्पीड़न में सहमति शारीरिक बल प्रयोग करके या बल प्रयोग की धमकी देकर प्राप्त की जाति है।	अनुचित प्रभाव में सहमति अधिशासी स्थिति का प्रयोग करके या नैतिक दबाव डालकर प्राप्त की जाती है।
2. प्रयोग	उत्पीड़न में शारीरिक बल के प्रयोग की धमकी निहित होती है।	अनुचित प्रभाव में मानसिक त्रास का अंश ज्यादा प्रभावकारी होती है।
3. पक्षकार	उत्पीड़न वचनग्रहीता द्वारा वचनदाता या	अनुचित प्रभाव वचनग्रहीता द्वारा वचनदाता पर ही

	किसी अनय पक्ष के खिलाफ प्रयोग में लाया जाता है।	प्रत्यक्ष रूप से डाला जाता है।
4. प्रभाव	उत्पीड़न द्वारा प्रेरित अनुबन्ध पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय घोषित होता है।	अनुचित प्रभाव द्वारा प्रेरित अनुबन्ध पूर्णरूप से या ऐसी शर्तों पर जिन्हें न्यायालय उचित समझे रद्द किया जा सकता है।
5. सम्बन्ध	उत्पीड़न में वचनदाता एवं वचनग्रहीता के बीच किसी भी प्रकार के सम्बन्ध का होना आवश्यक नहीं होता है।	अनुचित प्रभाव में वचनदाता एवं वचनग्रहीता के बीच किसी भी प्रकार के वास्तविक या विश्वासी सम्बन्ध का होना आवश्यक होता है।

****